

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 73/2020 - केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 01 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि.....(अ).- सरकार, माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिन्हें केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उप-नियम (4) के तहत निर्दिष्ट तरीके से बीजक तैयार करना हैं, परंतु उन्होंने उक्त तरीके के अलावा अन्य तरीके से बीजक तैयार किया है, ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो 1 अक्टूबर, 2020 से 31 अक्टूबर, 2020 की अवधि के दौरान विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे, उक्त व्यक्ति ऐसे बीजक की तारीख से तीस दिनों के भीतर, सामान्य माल एवं सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर प्रूप जीएसटी आईएनवी-01 में निर्दिष्ट विवरण अपलोड करके ऐसे बीजक के लिए एक बीजक संदर्भ संख्या (आईआरएन) प्राप्त करेंगे एवं ऐसा ना करने पर वह बीजक मान्य नहीं माना जाएगा।

[फा.सं.-सीबीईसी-20/16/09/2019-जीएसटी (भाग - 1)]

(प्रमोद कुमार)

निदेशक, भारत सरकार